

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक—३८७ /FP/UK/ROAD/11200/2015 :देहरादून:दिनांक:०४ अगस्त, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25—सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:—जनपद—अल्मोड़ा में जाख से गणाऊ—दाढ़िमी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.98 हेक्टेयर वन भूमि
का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन फाईल नं ० FP/UK/ROAD/11200/2015)


संदर्भ:—भारत सरकार की पत्र संख्या—८बी/यू.सी.पी./०६/२१६/२०१५/एफ०सी०/२४५४ दिनांक
२२—०२—२०१६

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के
उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन
भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा
सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है :—

1. शर्त संख्या—१ के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1800 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक
रख—रखाव हेतु रु० 18,00,000.00 (रु० अठारह लाख) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।
2. शर्त संख्या—२ के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि रु० 6,43,860.00
(रु० छ: लाख तैतालीस हजार आठ सौ साठ) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।
3. शर्त संख्या—३ के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर¹
बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की
जायेगी। इस आशय की बचनबद्धता का प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—१)
4. शर्त संख्या—४ के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई 1800 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं
एन०पी०वी० की धनराशि को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गये डिमाण्ड नोट के आधार पर (Online)
ऑनलाईन जमा कर दिया गया है। (संलग्नक—२)
5. शर्त संख्या—५ के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ—जहाँ सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों
तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख—रेख में strip
plantation की जायेगी। इस आशय की बचनबद्धता का प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
(संलग्नक—३) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रु० 17,26,560.00 (रु० सत्रह लाख छब्बीस हजार पाँच सौ साठ)
तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।


अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्न—यथोपरि ।



संख्या :- ३८९ /FP/UK/ROAD/11200/2015 दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन ।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा ।
4. जिलाधिकारी, जनपद—अल्मोड़ा ।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत ।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा ।



७८